न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
	मे संशोधन करने वास्ते स्वतन्त्र है। धारा 52 TP Act के प्रावधान लागू नहीं होते है। इसलिए प्र०पत्र खारिज किया जावे। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण मे कोई स्थगन जारी नही था। वादी वकील खरीददार को पक्षकार बना सकता है। तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने के लिए सिविल न्यायालय मे वाद करने के लिए वादी स्वतन्त्र है। तथा इसका निस्तारण राजस्व न्यायालय से नहीं किया जाना है अत: प्रार्थना पत्र धारा 52 TP एक्ट खारिज योग्य प्रतीत होता है। अत: प्रार्थनापत्र धारा 52 TP Act खारिज किया जाता है।
	इसके पश्चात वादी वकील ने कथन किया कि वादी का प्रार्थना पत्र धारा 52 TP Act खारिज हो चुका है अब इस मुकदमा दावा को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है कोर्ट कोई भी निर्णय पारित करे। वादी वकील इस मुकदमे को आगे चलाना नहीं चाहते है अत: यह मुकदमा खारिज किया जाता है। पक्षकारान जरी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

13/5/15 वकुलाय उप०/ प्रतिवादी वकील कलिंग पेश को/ दिनांक 5.6.15 को पेश हो।

24/7/15 पत्रावली जरिये तारीख पेशी से पेश हुई। वकुलाय उप०/ गतानुसार दिनांक 26.8.15 को पेश हो।

26.8.15 वकुलाय उप०/ गतानुसार कलिंग पेश करने समय चाहा / दिया गया/ दिनांक 22.9.15 को पेश हो।

22/9/15 वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी मीटिंग में व्यस्त है। गतानुसार दिनांक 3.11.15 को पेश हो।

3.11.15 वकुलाय उप०/ कलिंग पेश नहीं की/ वकील उभयपक्ष की प्रा.पत्र TP Act धारा 52 पर बहस सुनी गई/ वादी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं कथन किया कि प्रतिवादी ने दौराने दावा भूमि का विक्रय कर दिया है इसलिए विक्रय पत्र को शून्य घोषित किया जावे/ वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि किसी भी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं था/ इसलिए सही रूप से अपना हिस्सा विक्रय किया है/ वादी वकील वादपत्र

उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी[म]

दिनांक	फर्द अहकाम
	मे संशोधन करने वास्ते स्वतन्त्र है। धारा 52 TP Act के प्रावधान लागू नहीं होते है। इसलिए प्र०पत्र खारिज किया जावे। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण मे कोई स्थगन जारी नही था। वादी वकील खरीददार को पक्षकार बना सकता है। तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने के लिए सिविल न्यायालय में वाद करने के लिए वादी स्वतन्त्र है। तथा इसका निस्तारण राजस्व न्यायालय से नहीं किया जाता है अत: प्रार्थना पत्र धारा 52 TP एक्ट खारिज योग्य प्रतीत होता है। अत: प्रार्थनापत्र धारा 52 TP Act खारिज किया जाता है। इसके पश्चात वादी वकील ने कथन किया कि वादी का प्रार्थना पत्र धारा 52 TP Act खारिज हो चुका है अबइस मुकदमा दावा को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है कोर्ट कोईभी निर्णय पारित करे। वादी वकील इस मुकदमे को आगे चलाना नहीं चाहते है अत: यह मुकदमा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)